संख्या–वे0आ0–2–227 / दस–09–54(एम) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव / प्रमुख सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग, विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय,
राज्यपाल सचिवालय, न्याय विभाग, कार्मिक विभाग,
राजस्व विभाग, सतर्कता विभाग, निर्वाचन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 02 फरवरी, 2009

विषयः– उत्तर प्रदेश सचिवालय / सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों एवं सचिवालय स्तर पर गठित कार्यालयों के विभिन्न पदों पर अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते की दरों / व्यवस्था के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति–2008 द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सचिवालय / सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों एवं सचिवालय स्तर पर गठित कार्यालयों के कर्मचारियों / अधिकारियों को निम्न तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित पदों पर, स्तम्भ–2 के अनुसार वर्तमान में अनुमन्य सचिवालय विशेष वेतन को स्तम्भ–3 के अनुसार अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते में समायोजित करते हुए, स्तम्भ–5 के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से संशोधित दरों पर सचिवालय विशेष भत्ता अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है :––

(धनराशि प्रतिमाह रूपये में)

पदनाम	वर्तमान में अनुमन्य सचिवालय विशेष वेतन	वर्तमान में अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ता	योग (2+3)	सचिवालय विशेष वेतन को समायोजित करते हुए सचिवालय विशेष भत्ते की संशोधित दरें
1	2	3	4	5
1–टंकक / नैत्यिक लिपिक से निम्न वेतनमान के पद	90	60	150	500
2–टंकक / नैत्यिक लिपिक तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद (टंकक / नैत्यिक लिपिक से उच्च किन्तु अवर वर्ग सहायक (सहायक समीक्षा	100	90	190	700

पलि?

अधिकारी) से निम्न वेतनमान के पद भी सम्मिलित)				
3– अवर वर्ग सहायक (सहायक समीक्षा अधिकारी) तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद, अवर वर्ग सहायक (सहायक समीक्षा अधिकारी) से उच्च किन्तु प्रवर वर्ग सहायक (समीक्षा अधिकारी) से निम्न वेतनमान के पद भी सम्मिलित	120	120	240	850
4– प्रवर वर्ग सहायक (समीक्षा अधिकारी) तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद	140	180	320	1200
5– (क) अनुभाग अधिकारी तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद	200	280	480	1500
(ख) अनुभाग अधिकारी से उच्च एवं अनु सचिव से निम्न वेतनमान के पद	––	300	300	

2– उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा आवश्यक आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराये जायेंगे।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–227(1)/दस–09–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः––

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– उ0 प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग
3– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।